eo- 529169/2019/CR

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2018-हिं.अ. दिनांक: 02.01.2019

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 14.12.2018 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 14.12.2018 को सायं 04.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

प्रेम सिंह
02.01.2019

(प्रेम सिंह तोमर)
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव

वितरण:-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यगण।
2. सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।
3. विभागाध्यक्ष, विकिरण निदान विभाग
4. उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)
5. प्रशासन अधिकारी (भर्ती)।
6. सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग
7. प्रभारी अधिकारी, जनसंपर्क प्रभाग
8. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ
9. प्रशासन अधिकारी-स्थापना अनुभाग(नि.का.)/विधि प्रकोष्ठ/शैक्षिक अनुभाग

प्रतिलिपि:

- निदेशक/संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, ए-149, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23.
- उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

श्री पवन कुमार आवश्यक कार्यवाही हेतु -
Mr. Aman
3/1/19

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 14.12.2018 को आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में दिनांक 14.12.2018 को सायं 04.00 बजे पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/विशेष आमंत्रित अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	डॉ. डी.के. शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
3.	श्री शुभाशीष पण्डा, उप-निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
4.	श्री नीरज कुमार शर्मा, वरिष्ठ वित्त सलाहकार	सदस्य
5.	श्री धीरेन्द्र वर्मा, उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी	सदस्य
6.	आचार्य एवं प्रमुख, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र की प्रतिनिधि: श्रीमती रेणु भारद्वाज, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी	सदस्य
7.	आचार्य एवं अध्यक्ष, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र के प्रतिनिधि: डॉ. अनिल गोस्वामी, सह-आचार्य	सदस्य
8.	आचार्य एवं प्रमुख, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद के प्रतिनिधि: डॉ. अतुल आम्बेकर, आचार्य	सदस्य
9.	डॉ. यू. सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग	सदस्य
10.	डॉ. संजीव लालवानी, कुल सचिव (शैक्षिक)	सदस्य
11.	डॉ. संजय आर्य, मुख्य प्रशासन अधिकारी (कार्य.)	सदस्य
12.	श्री नरेन्द्र भाटिया, वित्त सलाहकार	सदस्य
13.	अधीक्षण अभियंता के प्रतिनिधि: श्री प्रदीप कुमार, कार्यकारी अभियंता (विद्युत)	सदस्य

14.	श्री सतीश प्रसाद, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर सुविधा	सदस्य
15.	वरिष्ठ भण्डार अधिकारी (नि.का.) के प्रतिनिधि: श्री महेश कुमार शर्मा, सहायक भण्डार अधिकारी	सदस्य
16.	डॉ. प्रवीण वशिष्ठ, आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, डॉ.रा.प्र.केन्द्र	सदस्य
17.	डॉ. आरती विज, आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र	सदस्य
18.	श्री सतीश कुमार सिंह, प्रशासन अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, डॉ.बी.आर.ए.सं.रो.कैं.अ.	सदस्य
19.	प्रशासन अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, अस्पताल के प्रतिनिधि: श्री बलराम (कार्यालय अधीक्षक)	सदस्य
20.	श्रीमती प्रीति आहलूवालिया, कल्याण अधिकारी, अ.भा.आ.सं.	सदस्य
21.	श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
22.	श्री प्रेम सिंह तोमर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी	सदस्य-सचिव
23.	प्रशासन अधिकारी, भर्ती अनुभाग के प्रतिनिधि: श्री इलियास पी.आई., प्रशासन अधिकारी	विशेष आमंत्रित
24.	श्री एस.एन. रघुकुमार, उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)	विशेष आमंत्रित
25.	श्री पल्लव चित्तेज, प्रशासन अधिकारी (नि.का.)	विशेष आमंत्रित
26.	प्रभारी अधिकारी, जनसंपर्क प्रभाग	विशेष आमंत्रित
27.	प्रशासन अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
28.	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
29.	प्रशासन अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
30.	प्रशासन अधिकारी, शैक्षिक अनुभाग	विशेष आमंत्रित

अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 **<u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की यथावत पुष्टि की गई।

मद सं. 2 **<u>संस्थान में हिंदी अधिकारी के पद पर पदोन्नति संबंधी।</u>**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि पिछली अनेक बैठकों में यह निर्णय जा चुका है कि हिंदी अधिकारी के रिक्त पदों हेतु यथाशीघ्र डी.पी.सी. आयोजित की जाए ताकि संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भर्ती अनुभाग द्वारा हिंदी अधिकारी के रिक्त पदों को यथाशीघ्र डी.पी.सी. करके भर लिया जाए ताकि संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अध्यक्ष महोदय ने इसे अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - प्रशासन अधिकारी (भर्ती)

मद सं. 3 **<u>संस्थान में हिंदी अनुवादकों की स्थायी भर्ती करने संबंधी।</u>**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरा जाना अति आवश्यक है ताकि संस्थान तथा इसके सभी केंद्रों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर मुख्य प्रशासन अधिकारी महोदय द्वारा समिति को सूचित किया गया कि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त पदों की भर्ती हेतु 31 जनवरी, 2019 को लिखित परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इस विषय पर चर्चा के दौरान सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि इस समय हिंदी अनुभाग में संस्थान की वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर संबंधी कार्य चल रहा है परन्तु हिंदी अनुवादकों के विभिन्न केन्द्रों में तैनात होने के कारण यह कार्य समय से पूरा करने में अत्यधिक कठिनाई आ रही है। निदेशक महोदय ने कहा कि संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 का हिंदी रूपांतर नियत समय-सीमा में होना अति आवश्यक है, इसके लिए निर्धारित पैनल के अलावा आवश्यकता पडने पर अन्य बाहरी अनुवाद एंजेसियों से भी समान दरों पर अनुवाद कार्य करवा लिया जाए।

उपर्युक्त के संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. संस्थान के विभिन्न केन्द्रों में तैनात कनिष्ठ/वरिष्ठ हिंदी अनुवादकों का तत्काल प्रभाव से हिंदी अनुभाग में ट्रांसफर किया जाए।
2. भर्ती अनुभाग द्वारा कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भर लिया जाए।

3. जब तक हिंदी के रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती नहीं होती है तब तक नियमानुसार हिंदी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स आधार पर कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की अविलम्ब तैनाती सुनिश्चित की जाए।

4. संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 का हिंदी रूपांतर 10-15 दिनों के अंदर पूर्ण किया जाए। इस उद्देश्य हेतु मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए तथा संस्थान द्वारा अनुमोदित बाहरी अनुवादकों के पैनल के अलावा अन्य बाहरी एंजेसियों से भी निर्धारित दर पर अनुवाद कार्य करवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/ प्रशासन अधिकारी (भर्ती)

मद सं. 4 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संस्थान के लिए हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि संस्थान में दिनांक 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही के अनुसार हिंदी पत्राचार लगभग 59 प्रतिशत ही है।

समिति द्वारा सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि तिमाही रिपोर्ट समीक्षाधीन सभी 08 अनुभागों/केंद्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए पत्राचार आदि संबंधी आंकड़ों में और वृद्धि की जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - कंप्यूटर सुविधा/परीक्षा अनुभाग/भण्डार अनुभाग (नि.का.)/समन्वय प्रकोष्ठ/ स्थापना अनुभाग(नि.का.)/विधि प्रकोष्ठ/शैक्षिक अनुभाग/जनसंपर्क प्रभाग

मद सं. 5 संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित अवर श्रेणी लिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि वर्तमान में संस्थान के 31 कर्मचारीगण एवं 05 आशुलिपिक हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा फरवरी, 2019 से प्रारंभ होने वाले हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु संस्थान के कर्मचारियों के नामांकन किए जाने प्रस्तावित हैं।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार फरवरी, 2019 से प्रारम्भ होने वाले

हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण सत्र में भी संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 6 विकिरण निदान विज्ञान विभाग में एक्स-रे आदि के लिफाफे केवल अंग्रेजी में ही छपे होने संबंधी।

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान के विकिरण निदान विभाग में एक्स-रे आदि के लिए प्रयोग में लाये जा रहे लिफाफे आदि पर विभाग संबंधी सूचना अभी भी केवल अंग्रेजी में ही छपवाई जा रही हैं जबकि समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नियमानुसार ऐसी सूचनाएं केवल द्विभाषी रूप में ही छपवाई जाएं।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि एक्स-रे आदि हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले सभी लिफाफे एवं अन्य सामग्री केवल द्विभाषी रूप में ही छपवाई जाएं। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - विभागाध्यक्ष, विकिरण निदान विभाग

मद सं. 7 संस्थान में रोगियों के ओ.पी.डी. कार्ड में रोगी विवरण द्विभाषी होने संबंधी।

अध्यक्ष महोदय की अनुमित से सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि संस्थान में रोगियों के ओ.पी.डी. कार्डों में रोगी विवरण केवल अंग्रेजी में ही छापा जा रहा है जबकि राजभाषा विभाग के नियमानुसार उक्त सूचना द्विभाषी रूप में छपी होनी चाहिए।

इस विषय में विचार-विमर्श के दौरान सुश्री तृप्ता शर्मा, वरिष्ठ प्रोग्रामर द्वारा समिति को सूचित किया गया कि संस्थान तथा संस्थान के सभी केन्द्रों में शीघ्र ही रोगियों के ओ.पी.डी. कार्ड में रोगी विवरण द्विभाषी कर दिया जाएगा। इस विषय में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान तथा इसके सभी केन्द्रों में बनाए जाने वाले ओ.पी.डी. कार्डों में रोगी संबंधी सूचना द्विभाषी रूप में छापी जाए और यह कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)

मद सं. 8 संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी होने संबंधी।

अध्यक्ष महोदय की अनुमित से सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निदेशानुसार संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए। इस विषय में अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर कंप्यूटर सुविधा के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में है और जो भी सामग्री अपलोड होने हेतु कंप्यूटर सुविधा में आती है, उसे अनिवार्य रूप से केवल द्विभाषी रूप में ही वेबसाइट पर अपलोड

किया जाता है। समिति द्वारा इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि संस्थान की वेबसाइट को द्विभाषी रूप में अद्यतन रखा जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।